न्यायालय–प्रभारी सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–271/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–1845/2026

(CNR UPLP 0100-4176-2026)

1. इन्दल कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र ठाकुर।

2. विनोद कुमार उम्र 52 वर्ष पुत्र अंतू,

निवासीगण अरनवा थाना शिवपुर, जिला बहराइच।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अपराध संख्या–497/2025
धारा 331(4), 305(ए) बी0एन0एस0,
थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी।

15.06.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण इन्दल कुमार एवं विनोद कुमार की ओर से मु0अपराध संख्या–497/2025, धारा 305(ए), 331(4) बी0एन0एस0, थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अनीस अहमद द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 23.07.2025 को इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह तेजनपुरवा मजरा टेकीकुण्डा, थाना धौरहरा जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। दिनांक 21/22.07.2024 की रात को अज्ञात चोरो द्वारा उसके घर के पूरब की पक्की दीवार मे सेंध लगाकर घर के अन्दर से बक्से का ताला तोड़कर रखे सोने चांदी के जेवर झुमकी, टप्पस सोने की, तीन जोड़ी पायल, बालो वाली चोटी व हथफूल चांदी के तथा बीस हजार रूपए नकद चोरी कर ले गए। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा 305(ए), 331(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, विवेचना प्रचलित है।

4— प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामित नही है। अभियुक्तगण को उक्त केस में फर्जी फॅसाने की नियत से पुलिस द्वारा दिनांक 15.05.2026 व दिनांक 17.05.2026 की रात्रि में गिरफ्तार करने हु उनके घर दबिश दी गयी, परन्तु अभियुक्तगण के घर पर मौजूद न होने के कारण पुलिस अपने मंतव्य में सफल नहीं हो सकी। अभियुक्तगण सम्मानित एवं प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य है और पुलिय यदि अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लेगी तो उनको अपमानित होना पड़ेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित नहीं किया गया है। सहअभियुक्तगण की जमानते पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है तथा मिली अग्रिम जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर गिरफ्तारी की आशंका दर्शित करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के घर मे घुस कर सोने चांदी के जेवरात व नगदी की चोरी की है, जिनकी बरामदगी भी सहअभियुक्तगण के पास से हुई है, सह अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को भी घटना मे शामिल होना बताया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— अग्रिम जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रश्नगत घटना दिनांक—21/22.07.2025 की रात की है, जिसकी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.07.2025 को अज्ञात के विरूद्ध धारा 305(ए), 331(4) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी थी, अर्थात प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। घटना के लगभग एक माह तीन दिन बाद दौरान विवेचना पुलिस द्वारा सह अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाना बताया जाता है जिनके बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश मे आया है।

मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। अतएव मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय इस मत की है कि आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण इन्दल कुमार एवं विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक को मु0 75,000–75,000/–रूपये के स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

1–आवेदक/अभियुक्तगण आरोप की सुनवाई तक वे प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

2–आवेदक/अभियुक्तगण दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेंगे।

3–आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे।

उपरोक्त में से किसी शर्त के उल्लंघन होने पर आवेदक/अभियुक्तगण को प्रदत्त अग्रिम जमानत पर पुर्नविचार किया जा सकेगा।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
15.06.2026